राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(24)ग्रावि / नरेगा / ई–एफएमएस   जयपुर, दिनांक : 27 JAN 2014

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सहकारी बैंक खातधारी श्रमिकों के खातों को नरेगा सॉफ्ट पर फ्रीज एवं भुगतान प्रारम्भ किये जाने के संबन्ध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में वाणिज्यिक बैंक एवं पोस्ट ऑफिस खाताधारी श्रमिकों को भुगतान ई–एफ.एम.एस. के माध्यम से किया जा रहा है परन्तु सहकारी बैंक खाताधारी श्रमिकों का भुगतान अभी तक चैक के माध्यम से ही किया जा रहा है। चूंकि सहकारी बैंक खाताधारी श्रमिकों का भुगतान ई–एफ.एम.एस. के माध्यम से करने का मोडयूल अब नरेगा सॉफ्ट पर develop कर दिया गया है। अतः इनका भुगतान ई–एफ.एम.एस. के माध्यम से करने के लिए श्रमिकों के खातों को नरेगा सॉफ्ट पर फ्रीज किया जाना आवश्यक है।

इस संबन्ध में तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :–

1. सहकारी बैंक खाताधारी श्रमिकों को कार्य आवंटन से पहले खातों को नरेगा सॉफ्ट पर फ्रीज किये जाने के पश्चात ही मस्टररोल जारी किये जावे जिससे कि पखवाडा समाप्ति के पश्चात उन श्रमिकों का भुगतान ई–एफएमएस के माध्यम से किया जा सके।
2. वित्तीय वर्ष 2013–14 में जिन सहकारी बैंक खाताधारी परिवारों को कार्य आवंटित किया गया है उन सभी परिवारों के खातों की नरेगा सॉफ्ट पर फ्रीजिंग दिनांक 09 फरवरी, 2014 तक आवश्यक रूप से करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे क्योंकि दिनांक 09 फरवरी, 2014 के पश्चात सहकारी बैंक खाताधारी श्रमिकों का भुगतान चैक के माध्यम से किये जाने का ऑप्शन नरेगा सॉफ्ट से हटा दिया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने का श्रम करावे।

भवदीय

(कुंजीलाल मीणा)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर / जोधपुर / बाडमेर।
3. रक्षित पत्रावली।

27/1/14

अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस